



संदेश

प्रिय साथियों,

'हिंदी दिवस' के अवसर पर आप सब को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 14 सितंबर, 1949 को यह निर्णय लिया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है और भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की कड़ी है। भारत के कोने-कोने में इसे समझने और बोलने वाले हैं। हिंदी सभी को एक सूत्र में बांधे हुए है। वैश्विक स्तर पर भी हिंदी को अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषा के महत्व को अब पूरा विश्व मानने लगा है। आज विश्व के अनेक देशों में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। प्रत्येक वर्ष अनेक विदेशी छात्र/छात्राएं भारत में हिंदी पढ़ने के लिए आने लगे हैं। यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। जहां तक सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग का संबंध है, हमें अपने अंतःमन में ऐसा निश्चय करना होगा और अपना कर्तव्य मानना होगा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए किसी संकल्प की आवश्यकता न पड़े।

आज विश्व हमारे देश को एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में देख रहा है। यह सपना तभी साकार कर सकते हैं जब हम राजभाषा हिंदी को ज्ञान-विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों से जोड़ें और इन क्षेत्रों के लाभ जन-जन तक पहुंचें। हालांकि हमने ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन हम सभी को हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को भी समझना होगा, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। भारतीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर हिंदी को विकसित कर आम बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करना होगा। हमें यह भी प्रयास करने चाहिए कि रोजमर्रा का छोटा-मोटा सरकारी कामकाज मूलतः हिंदी में हो और अनुवाद कराने की आवश्यकता कम पड़े।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों से मैं अपील करता हूँ कि 'हिंदी दिवस' के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपना सरकारी कामकाज सरल एवं सुबोध हिंदी में करेंगे।

पुनः शुभकामनाएं।